भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2066

उत्तर देने की तारीख- 11.12.2025

स्वदेशी जनजातीय भाषाओं का संरक्षण और परिरक्षण

2066. श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा की स्वदेशी जनजातीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विशिष्ट पहलें की गई हैं कि इन भाषाओं को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए;

(ख) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान त्रिपुरा में स्वदेशी जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए वित्तीय आवंटन और आवंटित निधियों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ग) क्या जनजातीय कल्याण विभाग शिक्षा, मीडिया और सार्वजनिक संस्थानों सहित दैनिक जीवन में इन भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए अन्य संबंधित विभागों, निकायों या संस्थानों के साथ समन्वय कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में जनजातीय अनुसंधान और सांस्कृतिक संस्थान, त्रिपुरा सहित 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना के तहत, बुनियादी ढांचागत जरूरतों, अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियों तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव, आदिवासी त्योहारों का आयोजन, अनूठी सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्राएं और आदिवासियों द्वारा आदान-प्रदान यात्राओं का आयोजन किया जाता है ताकि उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं और अनुष्ठानों को संरक्षित और प्रसारित किया जा सके। टीआरआई मुख्य रूप से राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संस्थान हैं। इस योजना के तहत, स्वदेशी आदिवासी भाषाओं और बोलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए शुरू की गई परियोजनाएं/गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

i. जनजातीय भाषाओं में द्विभाषी शब्दकोश और त्रिभाषी दक्षता मॉड्यूल तैयार करना।
ii. नई शिक्षा नीति 2020 की तर्ज पर बहुभाषी शिक्षा (एमएलई) उपाय के तहत जनजातीय भाषाओं में कक्षा I, II और III के छात्रों के लिए प्राइमर तैयार करना। जनजातीय भाषाओं में वर्णमाला, स्थानीय कविताओं और कहानियों का प्रकाशन।
iii. जनजातीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जनजातीय भाषाओं पर पुस्तकों, पत्रिकाओं का प्रकाशन।
iv. जनजातीय लोक परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न जनजातियों के लोकगीतों और लोककथाओं का दस्तावेजीकरण करना। मौखिक साहित्य (गीत, पहेलियाँ, गाथागीत आदि) का संग्रह करना

v. सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत आने वाले राज्यों में स्थानीय जनजातीय बोलियों में सिकल सेल एनीमिया रोग जागरूकता मॉड्यूल I और निदान और उपचार मॉड्यूल II के बारे में प्रशिक्षण मॉड्यूल का अनुवाद और प्रकाशन।

vi. सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और काव्य संगोष्ठियों का आयोजन करना।

इसके अलावा, जैसा कि सूचित किया गया है, त्रिपुरा सरकार के जनजातीय अनुसंधान और सांस्कृतिक संस्थान (टीआर एंड सीआई) ने त्रिपुरा की स्वदेशी जनजातीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

1. 'त्रिपुरा की जनजातीय भाषाओं के अधिगम' और शब्दकोशों आदि पर पुस्तकों का प्रकाशन।
2. हर साल त्रिपुरा की जनजातीय भाषाओं में 'साइमा' नामक 1 (एक) साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन।
3. 'टीयूआई' नामक 1 (एक) शोध पत्रिका का द्विवार्षिक प्रकाशन।
4. त्रिपुरा विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) के सहयोग से 'त्रिपुरा की स्वदेशी जनजातीय भाषाओं और बोलियों' पर सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन। शोधपत्रों को प्रलेखित और प्रकाशित किया जाता है।
5. त्रिपुरा की जनजातीय भाषाओं में जनजातीय विरासत, जीवन आदि पर श्रव्य-दृश्य प्रलेखन तैयार करना।
6. त्रिपुरा के जनजातीय लोकगीतों का नोटेशन तैयार करना।
7. त्रिपुरा के सरकारी स्कूलों में त्रिपुरा की जनजातीय भाषाओं में प्राइमर पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। सभी पुस्तकों/प्राइमरों/दस्तावेजों को टीआर एंड सीआई, त्रिपुरा के सामाजिक विज्ञान पुस्तकालय में संरक्षित किया गया है और वेबसाइट लिंकः https://trci.tripura.gov.in/e-book-publication, जनजातीय कार्य मंत्रालय रिपॉजिटरी पोर्टल और यूट्यूब चैनल में भी अपलोड किया गया हैः

https://www.youtube.com/@tribalresearchandculturali7184.

पिछले पांच वर्षों के दौरान त्रिपुरा में स्वदेशी जनजातीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए किया गया वित्तीय आवंटन इस प्रकार हैः

(लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
0.00	5.00	0.00	0.00	8.00

आवंटित धनराशि का उपयोग त्रिपुरा के प्रख्यात जनजातीय लेखकों, कवियों, लेखकों से त्रिपुरा की जनजातीय भाषा पर लेख एकत्र करने, पुस्तकों के मुद्रण और प्रकाशन, त्रिपुरा विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) के सहयोग से त्रिपुरा की स्वदेशी जनजातीय भाषाओं और बोलियों पर सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करने में किया जा रहा है। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 2013 में भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान (सीआईआईएल) मैसूर, के तहत "लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और परिरक्षण के लिए योजना (एसपीपीईएल)" शुरू की। संस्थान ने मुख्य समिति की मदद से चरणबद्ध तरीके से काम करने के लिए अपने पहले चरण में त्रिपुरा की दारलोंग, रांगलोंग और उचाई भाषाओं सहित 117 भाषाओं की पहचान की। एसपीपीईएल का उद्देश्य 10,000 से कम वक्ताओं द्वारा बोली जाने वाली भारत की मातृभाषाओं/भाषाओं की भाषा और संस्कृति का दस्तावेजीकरण प्राइमर, द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोश (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट प्रारूप) व्याकरण संबंधी रूपरेखाएं सचित्र शब्दावली और समुदाय की नृजातीय भाषाई (एथनो-लिंग्विस्टिक) प्रोफाइल तैयार करना है। विस्तृत जानकारी https://sanchika.ciil.org पर उपलब्ध है। स्थानीय समुदाय के लोग एसपीपीईएल भाषा प्रलेखन प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। सामुदायिक लोग क्षेत्रीय कार्य के दौरान भाषा सलाहकार के रूप में शामिल होते हैं। यहाँ तक कि समुदाय के लोगों को भी भाषा प्रलेखन से संबंधित कार्यशाला, सेमिनार और सम्मेलनों में शामिल किया जाता है और आमंत्रित किया जाता है।

इसके अलावा, भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान (सीआईआईएल) का डिजिटल भाषा भंडार (रिपॉजिटरी), भाषा संचिका, जहां भाषा संरक्षण, प्रसार और तकनीकी प्रगति एक अग्रणी पहल में एकसाथ मिलती है। अभिलेखागार पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाई संसाधनों को विभिन्न प्रारूपों-पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो में प्रदान करना; भाषा प्रौद्योगिकी संसाधनों, भाषा शिक्षाशास्त्र सामग्री और अन्य भाषा से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के निर्माण में सहायता करना है। ब्यौरे निम्नलिखित लिंक: https://sanchika.ciil.org/home में उपलब्ध हैं।

सीआईआईएल ने एनसीईआरटी, नई दिल्ली के सहयोग से 117 भाषाओं (अनुसूचित, गैर-अनुसूचित और जनजातीय) पर प्राइमर भी विकसित किये हैं। विवरण निम्नलिखित लिंक: https://ciil.org/primers_book. पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में, सीआईआईएल 22 अनुसूचित और 99 गैर-अनुसूचित भाषाओं सहित लगभग 121 भारतीय भाषाओं में ज्ञान संसाधन उपलब्ध कराने के लिए समर्पित भारतवाणी परियोजना को लागू कर रहा है। ये संसाधन इसके गतिशील और उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब पोर्टल (www.bharatavani.in) और मोबाइल ऐप (http://bit.ly/1XYqodI) के माध्यम से सुलभ हैं। कोकबोरोक, हलाम, मोघ और चकमा गैर-अनुसूचित/जनजातीय भाषाएँ हैं, जो त्रिपुरा में बोली जाती हैं, ये एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा के साथ, भारतवाणी पोर्टल में एक प्रमुख स्थान रखती हैं। भारतवाणी इन भाषाओं के ज्ञान को डिजिटल रूप से संरक्षित करने और प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपलब्ध संसाधनों को विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया हैः

क.सं.	प्रक्षेत्र	कोकबोरोक	हलाम	मोघ	चकमा
1	भाषाकोष | भाषा अधिगम सामग्री	02	00	00	00
2	पाठ्यपुस्तकोष | पाठ्यपुस्तकें	16	03	03	05
3	ज्ञानकोष | एनसाइक्लोपीडिक सामग्री	04	00	00	00
	कुल	22	03	03	05
	पीडीएफ शब्दकोष	02			

भारतीय भाषाओं के लिए भाषाई डेटा कंसोर्टियम (एलडीसी-आईएल) विभिन्न मातृभाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले भाषाई संसाधन विकसित कर रहा है। एलडीसी-आईएल ने भारत की मातृभाषा समानान्तर पाठ्य संग्रह (पैरेलल टेक्स्ट कॉर्पस) खण्ड-I जारी किया है और इसमें अंग्रेजी तथा भारत की 147 मातृभाषाएं शामिल हैं। प्रत्येक भाषा में 5,332 वाक्य हैं, जो व्यवस्थित रूप से 152 व्याकरणिक श्रेणियों के आधार पर संरचित होते हैं, जो देश की समृद्ध भाषाई विविधता को दर्शाते हैं।
समानान्तर कॉर्पस (संग्रह) और शब्द गणना में त्रिपुरा की जनजातीय भाषाएँः

- कोकबोरोक (त्रिपुरी)-27,063 शब्द
- रियांग-36,123 शब्द
- पाइते और कुकी मणिपुरी में प्रमुख हैं लेकिन यह त्रिपुरा में भी मौजूद हैं। पाइते - 32,627 शब्द, कुकी-32,695 शब्द

****